यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, वित्त नियंत्रक, गोबिन्द पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उधमसिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **कार्यालय, वित्त नियंत्रक, गोबिन्द पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उधमसिंह नगर)** के माह 04/2012 से 11/2016 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जतिन राणा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री राकेश रंजन, तथा श्री संजय कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री बी. डी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 30.12.2016 से 13.01.2017 तक सम्पादित किया गया।

## भाग-प्रथम

**1. परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, लेखापरीक्षक तथा श्री आनन्द कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री प्रेमचन्द्र, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 01/08/2014 से 23/08/2014 तक सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2012 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 11/201 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के रूप में सीमित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर एक पथ प्रदर्शक रहा है, जिसने कृषि, शिक्षा, शोध एवं प्रसार में मानक स्थापित किए। पंतनगर विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 56 वर्षों में शिक्षा, शोध तथा प्रसार के क्षेत्र में अनेक मील के पत्थर स्थापित किए। विश्वविद्यालय ने शिक्षण, शोध व प्रसार के सभी आयामों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ नई उंचाईयों को छुआ। नई प्रजातियों का रिकार्ड संख्या में जारी होना तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों को संरचनात्मक मजबूती प्रदान कर किसानोपयोगी तकनीकों व निवेशों का प्रसार किया जाना प्रशासनिक तंत्र के उचित प्रबंधन का घोतक रहा। कृषि के आधुनिक क्षेत्रों व तकनीकों में राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन को प्रशिक्षित करने का कार्य भी पूर्व की भांति चलता रहा। विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, विज्ञान एवं मान्यविकी महाविद्यालय, प्रौद्योगिक, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय अवस्थित है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र है

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

**(धनराशि ₹ लाख में)**

| **क्र.सं0** | **विवरण** | **वित्तीय वर्ष** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17 (11/2017 तक)** |
| 1 | प्रारंभिक अवशेष | 3226.36 | 4600.10 | 9152.11 |
| | वर्ष में कुल प्राप्तियां | | | |
| | केन्द्रांश/भा.कृ.अनु.परि. | 328.54 | 983.28 | 813.06 |
| | राज्यांश/विवि0आय | 18504.25 | 20901.97 | 13666.67 |
| | अन्य श्रोतों से | 99.33 | 2371.43 | 14.35 |
| 3 | प्राप्तियां (1+2) | 22158.48 | 28856.78 | 23646.19 |
| 4 | वर्ष के दौरान कुल व्यय | 17558.38 | 19704.67 | 10882.15 |
| 5 | अंतिम अवशेष (3-4) | 4600.10 | 9152.11 | 12764.04 |

(स) केन्द्र पुरोनिदानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

(iii) इकाई को बजट आबंटन अधिष्ठान मद में उत्तराखण्ड शासन से तथा अनुसन्धान एवं प्रौद्योगिक कार्यों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार से प्राप्त होता है।

(vi) विभाग का संगठानात्मक ढांचा निम्नवत् है।

**(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय, वित्त नियंत्रक, गोबिन्द पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उधमसिंह नगर)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, वित्त नियंत्रक, गोबिन्द पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उधमसिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह चयनः व्यय हेतु मार्च 2015 एवं मार्च 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार, राजस्व हेतु माह मार्च 2016 एवं जुलाई 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्चेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्त) अधिनियमस, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग 2 ब**

**प्रस्तर:1 भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के विपरीत, एक वर्ष के लिए आवंटित धनराशि का पाँच वर्षो तक उपयोग करना तथा ` 30.35 लाख की धनराशि का अवरोधन।**

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक F No. 13(51)/2011-EP&D दिनांक 21 अक्टूबर 2011 द्वारा विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के क्रय के लिए ` 175 लाख की धनराशि का आवंटन हुआ था। पत्र के अनुसार उक्त अनुदान का उपयोग सिर्फ विश्वविद्यालय के अध्यापको को पढ़ाने तथा छात्रों हेतु पुस्तके क्रय करने हेतु किया जाएगा। साथ ही यह भी कि उक्त अनुदान का उपयोग वित्तीय वर्ष 2011-12 में ही कर लिया जाएगा।

पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उधम सिंह नगर) ने उक्त आवंटन के सापेक्ष पुस्तकों का क्रय वित्तीय वर्ष 2011-12 मे ही ना कर वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक किया जा रहा था। कुल आवंटित धनराशि ` 175 लाख में से अब भी ` 30.35 लाख अव्यतीत अवशेष पड़े हुये थे।

उक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वित्त नियंत्रक, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उधम सिंह नगर) ने तथ्यों कि पुष्टि करते हुये बताया कि उक्त अनुदान की धनराशि काफी अधिक होने के कारण पुस्तकों का क्रय वित्तीय वर्ष 2011-12 में ही ना कर वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 तक किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2011-12 मे ही कर लिया जाना चाहिए था।

इस प्रकार भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के विपरीत, एक वर्ष के लिए आवंटित धनराशि को पाँच वर्षो तक उपयोग करना तथा ` 30.35 लाख की धनराशि का अवरोधन संबंधी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 2 : दिशा–निर्देशों के विपरीत रू0 57.99 लाख की औषधि का अनियमित क्रय।**

चिकित्सालयों द्वारा औषधि का क्रय सावधानीपूर्वक तथा केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर निर्गत किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार ही करना चाहिए।

औषधि क्रय के संबंध में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–932/XXVIII–4–2014–28 (8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार औषधि का क्रय किए जाने का प्रावधान संदर्भित किया गया है।

- बिन्दु संख्या 18 के अनुसार एक समय में क्रय की गई विभिन्न औषधियों में से 20 प्रतिशत औषधियों के रैण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। शासन द्वारा औषधियों के नमूनों की जांच हेतु अनुमोदित जांचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। यह प्रक्रिया क्रय की गई औषधि के 01–02 माह के भीतर सुनिश्चित की जाएगी।
- बिन्दु संख्या 11 के अनुसार प्रत्येक फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- बिन्दु संख्या 31 के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता फर्म को 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा गन्तव्य स्थल तक पहुंचने के 30 दिन के अन्दर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10 प्रतिशत गुणवत्ता सम्बन्धी जांच आख्या प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अन्दर किया जाएगा।

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के बिन्दु संख्या 10 (1) के अनुसार ऐसी सामग्री और मदों के लिए, जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिनकी आवश्यकता बार–बार होती है, उनके लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा दर संविदा के अनुसार किया जाना चाहिए। दर संविदाएं सामान्यतः एक वर्ष के लिए की जा सकेंगी।

वित्त नियंत्रक, गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उधमसिंह नगर) के चिकित्सालय के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य पाए गए :

संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17 (11/2016 तक) कुल रू0 57.99 लाख की धनराशि से क्रय की गई औषधियों को विश्वविद्यालय चिकित्सालय के क्रय दल एवं स्थानीय बाजार द्वारा क्रय किया जा रहा था। यदि निरन्तर औषधियां स्थानीय बाजार से क्रय की आवश्यकता थी तो उसके लिए दर संविदा की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। जांच में यह भी पाया गया कि एक ही सप्लायर को वर्ष से एक से अधिक बार बिना निविदा दर संविदा के आपूर्ति आदेश निर्गत किए जा रहे थे जो कि अधिप्राप्ति के नियमों के विपरीत था। स्पष्ट है कि यदि संस्थान द्वारा दर संविदा के आधार पर औषधियां क्रय की जाती तो न केवल छूट/प्रतिस्पर्धात्मक दरो का लाभ भी लिया जा सकता था बल्कि आवंटित धनराशि से अधिक

औषधियां क्रय की जा सकती थी। औषधि क्रय में प्रतिस्पर्धा न होने के कारण संस्थान को हुए हानि का आकलन नहीं किया जा सकता।

(अ) चिकित्सालय द्वारा क्रय की गई औषधियों में से 20 प्रतिशत औषधि के रैण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण नहीं कराया जा रहा था। परिणामस्वरूप न केवल औषधियों की वास्तविक गुणवत्ता का पता चल पाया कि वे उपयोग हेतु उपयुक्त है या नहीं बल्कि औषधियों को जन समुदाय के उपयोग हेतु अवमुक्त कर दिया गया।

(ब) क्रय की गई औषधियों में से कुछ निर्माण की तिथि से पुरानी अवधि की क्रय की गई। विश्लेषण में पाया गया कि क्रय की गई पुरानी औषधियों की अवधि 3 माह से 12 माह तक थी जिसके परिणामस्वरूप औषधियों को वितरण करने हेतु पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाता है अपितु बिना आवश्यकता के उनका उपयोग किया जाना भी संस्थान की मजबूरी हो जाती है।

(स) क्रय की जा रही समस्त औषधियों का भुगतान औषधियों के प्राप्त होते ही शत–प्रतिशत एक बार में ही किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप जहां एक ओर आपूर्तिकर्ता फर्म को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाए जाने की सम्भावना बनी रहती है वहीं दूसरी ओर औषधियों की निम्न गुणवत्ता प्राप्त होने पर उसके एवज में वापसी एवं पुनः आपूर्ति की सम्भावना भी खत्म हो जाती है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वित्त नियंत्रक, गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उधमसिंह नगर) ने उक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि औषधियों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से औषधियों की स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्ति की गई तथा क्रय की गई औषधियों के नमूना परीक्षण के संबंध में बताया की प्रायोगिक परीक्षण कराए जाने का इसलिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि स्थानीय स्तर से क्रय की गई औषधियां विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत एवं मनोनीत होती है। संस्थान का उत्तर अपने आप में आपत्ति की स्वीकारोक्ति है। साथ ही लेखापरीक्षा को ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जो यह पुष्टि करे कि चिकित्सालय द्वारा क्रय औषधियों के किस्मों में से 20 प्रतिशत किस्म को रैण्डम नमूने लेकर उनका विश्लेषण कराया गया हो।

इस प्रकार, दिशा–निर्देशों के विरीत रू0 57.99 लाख की औषधि का अनियमित क्रय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-दो(ब)

**प्रस्तर-3 निष्प्रयोज्य घोषित ` 63.48 लाख धनराशि की मशीनों/उपकरणों/संयत्रों की नीलामी न किया जाना।**

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट डी तथा सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 से 200 के अनुसार ऐसी मशीनें/उपकरण/संयत्र जो प्रयोग में लाए जाने योग्य नहीं है उसे अविलम्ब निष्प्रयोज्य घोषित कर सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि मशीनों/उपकरणों/संयत्रों में मूल्य ह्रास के कारण होने वाली अनावश्यक हानि से बचा जा सके।

विश्वविद्यालय के अंतर्गत अवस्थित विभिन्न अनुभागों के निष्प्रयोज्य मशीनों/उपकरणों/संयत्रों की अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संस्थान के विभिन्न विभागों में ` 63.48 लाख धनराशि मूल्य की 669 मशीनें/उपकरण/संयत्र विगत 2 से 10 वर्षों से प्रयोग में नहीं लायी जा रही थी क्योंकि वे सभी अकार्यशील रूप में पडे थे (सूची संलग्न)। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त मशीनों/उपकरणों/संयत्रों को निष्प्रयोज्य तो घोषित कर दिया गया था परंतु उसकी नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा रही थी। नीलामी के समय में बढोतरी होने से उक्त निष्प्रयोज्य घोषित मशीनों/उपकरणों/संयत्रों के मूल्य क्षय होने से भी इन्कार किया जा सकता है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वित्त नियंत्रक, गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उधमसिंह नगर) ने उक्त तथ्यों एवं आंकडों की पुष्टि करते हुए बताया कि नीलामी की कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त मान्य नहीं है क्योंकि नीलामी के समय में बढोतरी होने से उक्त निष्प्रयोज्य घोषित मशीनों/उपकरणों/संयत्रों के मूल्य में क्षय हो रहा है।

इस प्रकार, निष्प्रयोज्य घोषित ` 63.48 लाख धनराशि की मशीनों/उपकरणों/संयत्रों की नीलामी न किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग-दो(ब)</u>**

**प्रस्तर-4 ठेकेदार को सर्विस चार्ज का अधिक भुगतान ` 41.64 लाख।**

गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा दिन प्रतिदिन के आवर्ती कार्यों को करने के लिए बाह्यस्रोत द्वारा मजदूरों को व्यवस्था करायी जा रही है। इस व्यवस्था में बाह्यस्रोत एजेंसी/ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय को आवश्यकतामुसार मजदूरों की आपूर्ति की जा रही है, जिसके विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्तिकर्ता को श्रमिकों का वेतन, ई.पी.एफ. एवं ठेकेदार को सर्विस चार्ज का भुगतान किया जाना है। इसी संबंध में विश्वविद्यालय एवं मै. विलीम सॉल्यूशन्स के बीच मजदूरों की आपूर्ति हेतु सितम्बर 2014 में अनुबंध किया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार को भुगतान भी किया गया, जिसकी लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य संज्ञान में आयेः-

1) विश्वविद्यालय द्वारा मजदूरों को आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता से सर्विस चार्ज की दरों हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी।

2) वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में विश्वविद्यालय द्वारा मै. बिलीव सॉल्यूशन्स के साथ 3.75 प्रतिशत की दर पर अनुबंध किया गया था।

3) विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति हेतु M/S A.A Foundation के साथ एक प्रतिशत (1%) सर्विस चार्ज की दर से अनुबंध किया गया।

4) उत्तराखण्ड भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) जो कि उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम है तथा जिसका मुख्य कार्य बाह्यस्रोत द्वारा विभिन्न प्रकार के कामगारों की व्यवस्था करना है, द्वारा सर्विस चार्ज की दर 2.5 प्रतिशत बताई गयी है।

अतः उपरोक्त से विदित होता है, मै. बिलिव सॉल्यूशन्स के साथ सर्विस चार्ज की 3.75 प्रतिशत की दर से अनुबंध करते हे विश्वविद्यालय के वित्तीय हितों का ध्यान नहीं रखा गया तथा सर्विस चार्ज की अन्य दरों (जैसा बिन्दु 3 व 4 में बताया गया है) को ध्यान में न रखते हुए उच्च दर 3.75 पर बिना Negotiation करे अनुबंध कर दिया गया। जबकि UPNL की दरें 2.5 प्रतिशत थी। अतः अनुबंधकर्ता द्वारा निम्न प्रकार से सर्विस चार्ज का अधिक भुगतान किया गया।

| ठेकेदार का नाम | वर्ष | सर्विस चार्ज की दर जिस पर अनुबंध | UPNL की दर 2.5% के अनुसार राशि | अन्तर |
|---|---|---|---|---|

| | | **किया गया (3.75%)** | | |
|---|---|---|---|---|
| मै. बिलिव सॉल्यूशन्स सर्विसेज गुडगाँव | अगस्त 2014 से दिसम्बर 2016 | ` 1,24,94,953/- | ` 83,29,968/- | ` 41,64,984/- |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि अनुबन्धकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय हितों को ध्यान में रखा जाता तो सर्विस चार्ज की दरें Negotiate अथवा निविदा पुनः आमंत्रित करके भी अनुबंध किया जा सकता था या UPNL को यह कार्य बिना अनुबंध करे दिया जा सकता था। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी बताया गया कि प्रत्येक बार नया ठेकेदार उन्हीं कामगारों को रखता है जो विश्वविद्यालय में पहले से ही कार्य कर रहें हैं। अतः ठेकेदारों द्वारा कोई नयी आपूर्ति नहीं की जा रही है। इस तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा गया तथा मै. बिलीव सॉल्यूशन्स के साथ सर्विस चार्ज को उच्च दरों पर अनुबंध करने से विश्वविद्यालय द्वारा सर्विस चार्ज मद में ` 41,64,984/- का ठेकेदार को परिहार्य भुगतान किया गया।

**<u>भाग-दो(ब)</u>**

**प्रस्तर-5- अनारम्भ कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि ` 6.00 करोड़ का अवरोधन।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 246/XIII(II)/04(08)/2015 दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा पंतनगर विश्वविद्यालय के अंतर्गत छः पशु चिकित्सालय विज्ञान महाविद्यालयों के निर्माण हेतु ` 600.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

कार्यालय, वित्त नियंत्रक, गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के निर्माण कार्यों से संबंधित लेखा अभिलेखों जांच में पाया गया कि उक्त महाविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण अद्यतन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है जबकि शासन से उक्त निर्माण हेतु आवंटन हे लगभग दो वर्ष व्यतीत हो चुके है। उक्त से स्पष्ट है कि कार्य प्रस्तावित करने से पूर्व कार्यस्थल का विधिवत सर्वे एवं निरीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार धनराशि अवमुक्त होने के लगभग दो वर्ष पश्चात भी न केवल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सका अपितु उन उद्देश्यों की भी पूर्ति नहीं हुई जिसके लिए उक्त पशु चिकित्सालय विज्ञान महाविद्यालयों को प्रस्तावित एवं स्वीकृत की गई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वित्त नियंत्रक, गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उधमसिंह नगर) ने बताया कि संबंधित जिला प्रशासन/विभागों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखे गए परंतु भूमि आबंटन संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई।

अतः अनारम्भ कार्य हेतु अवमुक्त ` 6.00 करोड़ की धनराशि के अवरोधन का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग-दो(ब)</u>**

**प्रस्तर-6- विक्रीत बीजों के पूरे मूल्य की वसूली न होना (` 46.47 लाख)**

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा इसके फार्म के विभिन्न प्रकार की फसलों के बीज जैसे गेंहूँ, धान, तथा गन्ना इत्यादि तैयार किये जाते हैं। इन बीजों की पैदावार को (गन्ने को छोड़कर) उत्तराखण्ड तराई बीज विकास निकास को बेचा जाता है, तथा गन्ने के बीज चीनी मिलों को बेचे जाते हैं।

विश्वविद्यालय के फार्म की बिक्री से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में विश्वविद्यालय फार्म द्वारा उत्तराखण्ड तराई बीज विकास निगम (UKTDC) को ` 1,34,52,751 धनराशि के विभिन्न प्रकार के बीज बेचे गये, तथा ` 1,44,09,039 के गन्ने के बीज किच्छा शुगर मिल को बेचे गये, जिसमें से UKTDC ने अभी तक ` 89,29,157/- तथा किच्छा शुगर मिल ने ` 1,41,98,193/- धनराशि का भुगतान किया। अतः इन दोनों खरीददारों पर कुल ` 46,47,212/- बकाया पड़ा था। जिसकी वसूली लेखापरीक्षा का माह दिसम्बर 2016 तक नहीं की जा सकी थी।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर विश्वविद्यालय फार्म द्वारा बताया गया, कि उपरोक्त वसूली के लिये पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा की तिथि तक उक्त वसूली नहीं की गयी थी।

**STAN**

**प्रस्तर-1- विश्वविद्यालय द्वारा तुलनपत्रों को न बनाया जाना।**

गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना (कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियमि) 1958 के अनुसार की गयी थी। उत्तराखण्ड बनने के बाद यह अधिनियम के द्वारा धारा-34, जो कि विश्वविद्यालय के लेखा तथा लेखापरीक्षा से संबंधित है, ये प्राविधानित है, किः

(1) 34(i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र (Balance Sheet) माननीय कुलपति के दिशानिर्देशों के अनुसार बनने चाहिये।

(2) 34(ii) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलनपत्र लखापरीक्षक द्वारा लेखापरिक्षित होने चाहिये।

(3) 34(iii) इस प्रकार लेखापरिक्षित Balance Sheet विश्वविद्यालय को बोर्ड में प्रस्तुत की जायेगी, जो कि इन लेखाओं को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के अनुसार कार्यपालन नहीं किया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अनुसार एक स्वायत्त निकाय है, जिसके लेखे Non-Profit making organization। जिसमें Balance Sheet, Income expenditure A/C तथा Receipt Payment A/c आदि को प्रत्येक वर्ष बनाना शामिल है।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने लेखाओं को नियत प्रारूप में न बनाने से विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति, जैसे Assets (Land & Buildings etc.) तथा देयताए का पता नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है, कि विश्वविद्यालय के लेखे वर्ष 2005-06 तक बनकर तैयार हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय में स्टॉफ की, जिस कारण अभी तक Balance Sheet वित्तीय वर्षों के अनुसार तैयार नहीं हो पाई है।

उत्तर मान्य नहीं है, चूँकि विश्वविद्यालय क स्वायत्त निकाय है, जो कि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के वित्तीय अनुदानों से पोषित है, जिस कारण विश्वविद्यालय को Balance Sheet बनाना अनिवार्य है। जो कि विश्वविद्यालय के अधिनियम में यथा वर्णित है।

**STAN**

**प्रस्तर-2- विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों पर अवैध कब्जा।**

विश्वविद्यालय के प्रबंध परिषद की 225वीं बैठक दिनांक 18.06.2015 में पारित संकला संख्या 225.12 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार पूर्व में ठेकेदारों को विश्वविद्यालय परिसर में आवंटित किये गये आवासों को आवंटन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हे उक्त आवासों को खाली कराकर विश्वविद्यालय द्वारा उस पर कब्जा प्राप्त करने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के लेखाओं की जांच में पाया गया कि पूर्व में जिन ठेकेदारों को विश्वविद्यालय के अन्दरूनी कार्यों को करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों के आवास आवंटित किये गये थे। विश्वविद्यालय के सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रबंध परिषद को निर्णय/निर्देशानुसार वे आवास अभी तक खाली नहीं करवाये गये है। इस प्रकार इन ठेकेदारों का 16 आवासों पर अभी भी अवैध कब्जा बरकरार है।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर परिसम्पत्ति अधिकारी द्वारा कहा गया है, कि परिषद के इस निर्णय पर कुलपति द्वारा मार्च 2016 तक यथा-स्थिति बनाये रखने को कहा गया था तथा वर्तमान में ठेकेदारों से भवन खाली कराये जाने हेतु नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय परिषद के निर्णय पर कुलपति की स्थगन या रोक नहीं लगा सकते हैं। यदि ऐसा भी हो तो मार्च 2016 के बाद इन आवासों को खाली करने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये और ना ही किसी थाने में इन ठेकेदारों के विरूद्ध विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों पर अवैध कब्जे संबंध में परिसम्पत्ति अधिकारी को FIR दर्ज की गयी है।

अतः परिसम्पत्ति अधिकारी की लापरवाही से इन ठेकेदारों का विश्वविद्यालय के 16 आवासों पर अवैध कब्जा बरकरार है।

## भाग-III

**1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या | भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| | | |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | | इकाई द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। | प्रतिउत्तर के अभाव में यथावत् | |

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

विश्वविद्यालय ने कृषि, शिक्षा, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में मानक उपलब्धि हासिल कर नई उँचाईयों को छुआ है।

विश्वविद्यालय ने कृषि विज्ञान केन्द्रों को संरचनात्मक मजबूती प्रदान कर किसानोपयोगी तकनीकों व निवेशों का प्रसार किया है।

संस्थान प्रशासनिक तंत्र के उचित प्रबन्धन का द्योतक रहा है।

पंतनगर विश्वविद्यालय ब्रिक्स देशों के सर्वेत्तम 200 में अपना स्थान बनाने बाला भारत एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय है।

विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित जूनियर रिसर्च फेलाशिप तथा सीनियर रिसर्च फेलाशिप परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न फसलों की विकसित 28 प्रजातियों को राज्य प्रजाति विमोचन समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन हेतु विमोचन किया गया है।

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, वित्त नियंत्रक, गोबिन्द पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उधमसिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

**2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

**(अ)** शून्य

**3. सतत् अनियमितताएः-**

**(अ)** शून्य

**4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री जी.सी. जोशी | वित्त नियंत्रक | 09.03.2014 से 31.03.2014 |
| 2. | श्री पंकज तिवारी | वित्त नियंत्रक | 01.04.2014 से 14.11.2016 |
| 3. | कु. कृष्णा रौंकली | वित्त नियंत्रक | 15.11.2016 से अद्यतन |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, वित्त नियंत्रक, गोबिन्द पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उधमसिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**(सामाजिक क्षेत्र)**